सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/720 दर्ज तिथिः– 07.10.2025

1. हेमाराम पुत्र फगलूराम
2. अमलूराम पुत्र खींयाराम
3. केसाराम पुत्र सोनाराम
4. गंगा पत्नी फगलूराम
5. पुरखाराम पुत्र सोनाराम
6. प्रतापाराम पुत्र सोनाराम
7. माडू पत्नी खींयाराम
8. लाधुराम पुत्र खींयाराम
9. लाधु पुत्र धापु

जाति विश्नोई निवासी खिचड़ो का वास, बाण्ड तहसील नोखड़ा

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनाराम पुत्र नरींगाराम
2. अणदू पत्नी खंगाराराम
3. ठाकरा पुत्र नरींगाराम
4. देउ पुत्री खंगाराराम
5. भजनलाल पुत्र फुसाराम
6. भेराराम पुत्र बंशाराम
7. भाखराराम पुत्र घमण्डाराम
8. मनोज कुमार पुत्र फुसाराम
9. मनोहरी पुत्री खंगाराराम
10. रूपाराम पुत्र नरीगाराम
11. रूपाराम पुत्र बंशाराम
12. रामाराम पुत्र नरींगाराम
13. विश्ना पुत्र हरींगाराम
14. श्रवण कुमार पुत्र फुसाराम
15. अणसी पत्नी भीखाराम
16. अशोक कुमार पुत्र भागीरथराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

17. इन्द्रादेवी पत्नी भागीरथराम
18. कमलेश पुत्र सदराम
19. करनाराम पुत्र मंगलाराम
20. केसाराम पुत्र निम्बाराम
21. कालूराम पुत्र धूड़ाराम
22. कोशलाराम पुत्र अमराराम
23. जैकनराम पुत्र मंगलाराम
24. ठाकरा पुत्र पैलाद
25. प्रतापाराम पुत्र मंगलाराम
26. फगलूराम पुत्र रणू
27. बुधराम पुत्र रणूराम
28. भजनलाल पुत्र सदराम
29. भेराराम पुत्र निम्बाराम
30. भाखराराम पुत्र अमराराम
31. भींयाराम पुत्र मंगलाराम
32. मांगीलाल पुत्र रिड़मलराम
33. मानाराम पुत्र धूड़ाराम
34. मिरागा पत्नी धुड़ा
35. मोबताराम पुत्र भीखाराम
36. रूपादेवी पुत्री अमराराम
37. रूपाराम पत्नी मंगलाराम
38. लूंगादेवी पत्नी मंगलाराम
39. लाभूराम पुत्र जोधाराम
40. लाधूराम पुत्र धुड़ाराम
41. शैतानरमा पुत्र सदराम
42. श्रीराम पुत्र भीखाराम
43. शांतिदेवी पत्नी सदराम
44. हेमाराम पुत्र भीखाराम
45. हरीराम पुत्र अमराराम
46. हीराराम पुत्र रणूराम
47. किशनाराम पुत्र भाखराराम
48. घमण्डाराम पुत्र भाखराराम
49. बाबूलाल पुत्र भाखराराम
50. बींजाराम पुत्र भाखराराम
51. भेराराम पुत्र भाखराराम
52. रूपाराम पुत्र भाखराराम
53. सुजानाराम पुत्र भाखराराम
54. कालूराम पुत्र धर्माराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

55. बाबूलाल पुत्र धर्माराम
56. भागीरथराम पुत्र धर्माराम
57. मोटाराम पुत्र धर्माराम
58. खंगाराराम पुत्र हीराराम
59. पेमाराम पुत्र भीखाराम
60. सुरताराम पुत्र धुड़ाराम
61. सदराम पुत्र भीखाराम
62. कालूराम पुत्र फुसाराम
63. भाखराराम पुत्र फुसाराम
64. लाडूराम पुत्र फुसाराम
65. खंगाराराम पुत्र लुम्बाराम
66. देरामाराम पुत्र विरधाराम
67. दलू पुत्र लूम्बा
68. बाबूदेवी पत्नी कोजाराम
69. भूराराम पुत्र लाधूराम
70. झमकू पत्नी विरधाराम
71. श्रवण पुत्र विरधाराम
    जाति विश्नोई निवासी खिचड़ो का वास, बाण्ड तहसील नोखड़ा
72. गोरखाराम पुत्र हुकमाराम
73. जमनादेवी पत्नी चेनाराम
74. शंकरलाल पुत्र चेनाराम
75. श्रीराम पुत्र हुकमाराम
76. हनुमानराम पुत्र चेनाराम जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी
77. अर्जुनराम पुत्र ठाकराराम
78. किशनाराम पुत्र रामू
79. गोकला पुत्र हरजी
80. गोरधन पुत्र रामू
81. चतरू पत्नी रामू
82. जुंजा पुत्र भींया
83. डूंगरा पुत्र जीया
84. नवला पुत्र हरजी
85. पूनमाराम पुत्र ठाकराराम
86. पांचाराम पुत्र ठाकराराम
87. भागीरथ पुत्र रामू
88. मिरा पत्नी भींया
89. रूखमणी पत्नी ठाकराराम
90. विरधा पुत्र हरजी
91. विरधा पुत्र कोहलाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

92. श्रवण पुत्र रामू
93. सदराम पुत्र ठाकरा
94. सुरता पुत्र हरजी
जाति विश्नोई निवसी गोलिया गर्वा खडाली तहसील गुड़ामालानी
95. केसी पत्नी निम्बाराम
96. पालूदेवी पत्नी पांचाराम
97. मिरो पत्नी विरधाराम
98. वरींगाराम पुत्र उदाराम
99. विरधाराम पुत्र उदाराम
100. शांतिदेवी पत्नी खंगाराराम
जाति विश्नोई निवासी नई बाण्ड तहसील नोखड़ा
101. अचलाराम पुत्र मोमता
102. जेठाराम पुत्र कोशलाराम
103. दुर्गाराम पुत्र किशना
104. पदमाराम पुत्र मोमता
105. सताराम पुत्र कोशलाराम
जाति जाट निवासी रामेश्वर नगर कौशले की ढाणी तहसील धोरीमना

...........असल अप्रार्थीगण

106. तहसीलदार नोखड़ा

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— श्री लाखाराम साहु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 19.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 683/22.5814 है0, 702/0.1376 है0, 712/9.4615 है0, 792/24.6129 है0, 815/0.6880 है0 मौजा खीचड़ो का वास पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश दिनांक 05.06.2025 की पालना में दिनांक 18.06.2025 को पटवारी हल्का बाण्ड द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 683 / 22.5814 है0, 702 / 0.1376 है0, 712 / 9.4615 है0, 792 / 24.6129 है0, 815 / 0.6880 है0 मौजा खीचड़ो का वास पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा की पत्थरगढ़ी दिनांक 18.06.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 21 के अतिरिक्त विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 21 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 18.06.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 21 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए परंतु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries***.—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075—78 वाकै ग्राम खीचड़ो का वास में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम खीचड़ो का वास के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 18.06.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 683 / 22.5814 है0, 702 / 0.1376 है0, 712 / 9.4615 है0, 792 / 24.6129 है0, 815 / 0.6880 है0 मौजा खीचड़ो का वास पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested